न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस)

किशनलाल

बनाम

भंवरलाल इत्यादि

उपस्थिति

1. श्री रणजीतसिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुरेश परिहार, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 9,13,16,17 व 18
3. श्री तेजमल रांका,अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 21
4. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 22

आदेश

दिनांक 13 मई 2025

अपीलांट ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर(उत्तर) जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 58/2024 अनवान किशनलाल बनाम भंवरलाल इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 12 जुलाई 2024 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 20 अगस्त 2024 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम चौखा के खसरा नम्बर-570, 571, 573, 582 कुल रकबा 15 बीघा 0.1 बिस्वांशी, खसरा नंबर 569, 572, 580 कुल रकबा 06 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 867/1/1 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा ग्राम गेंवा अपीलांट की संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जिसका विधिवत विभाजन होना है। अपीलांट की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी के संबंध में खातेदारी घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद

	प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान में विचाराधीन है। अपीलांट की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वाद के विचारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने से इंकार कर दिया। प्रत्यर्थीगण दौराने वाद वादग्रस्त भूमि का बेचान हस्तांतरण कर देते तो अपीलांट को अनावश्यक वाद बाहुल्य का सामना करना पड़ेगा। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलार्थी के पक्ष में साबित होते है। रेस्पोडेंट्स अपीलांट द्वारा खेती करने के लिए उपयोग में लिये जा रहे रास्ते को भी रोक कर व्यधान उत्पन्न कर रहे है। इसलिए अपीलांट को अपने हिस्से की भूमि के उपयोग में कठिनाई हो रही है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित है। अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 12 जुलाई 2024 को निरस्त किया जावे एवं वाद के लम्बित रहने तक माफिक अनुतोष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे। जवाब में रेस्पो. अधिवक्तागण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पर सभी पक्षकार अपने हक-हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। कानूनन सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अपीलांट द्वारा अंतरिम आदेश के विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की है जो पोषणीय नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।	

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्त आराजीयात की जमाबंदी के अवलोकन मुताबिक वादग्रस्त आराजीयात अपीलांट की सहखातेदारी की भूमि प्रकट होती है। अपीलांट की ओर से विचारण न्यायालय में खातेदारी घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा के वाद प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान में विचाराधीन है। वाद के विचाराधीन रहते पक्षकारान् द्वारा वादग्रस्त आराजी का बेचान/हस्तांतरण अथवा उसे खुर्द बुर्द किया जाता है तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखा जाना न्याय हित में उचित है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उपलब्ध अभिलेख के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

यह उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना है। लिहाजा मामला उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित रहेगा।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12 जुलाई 2024 को अपास्त किया जाता है तथा मामला विचारण न्यायालण्य को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है

	वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण करे। तब तक उभय पक्ष वादग्रस्त आराजीयात के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया। **(ओमप्रकाश विश्नोई)** **राजस्व अपील प्राधिकारी** **जोधपुर**	